बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

डॉ० सुषमा
असिस्टेंट प्रोफेसर
बी०एड० विभाग
दयानन्द आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद
ईमेलः sushma030@gmail.com

सारांश

बाल श्रम किसी भी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है, यह राष्ट्र की छवि पर एक कलंक के समान है जिसके कारण मासूम बचपन की नैसर्गिक अभिक्षमता एवं रचनात्मकता का नाश हो जाता है। अतः यह अपरिहार्य है की भविष्य के निर्माता के रूप में एक शिक्षक को बाल श्रम के प्रति जागरूक होकर इसे समाप्त करने की दिशा में किये जाने वाले कार्यों का नेतृत्व करना चाहिए। इसी तथ्य के दृष्टिगत यह शोध किया गया है। इस शोध का क्षेत्र मेरठ, हापुड़ एवं बुलन्दशहर जनपद है। इस दृष्टि से यह व्यापक क्षेत्र है। शोध की जनसंख्या प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक है एवं न्यादर्श रूप में 600 अध्यापकों का चयन किया गया है। शोध के निष्कर्ष मिले जुले रूप में प्राप्त हुए है। अतः यह शोध बाल श्रम, एव इसकी रोकथाम के प्रति कानूनी प्रावधानों के प्रति शिक्षकों की वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करेगा एवं उन्हें नवीन दृष्टि प्रदान करने के साथ ही उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्य बिन्दु

बाल श्रम, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, अध्ययापक, जागरूकता।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 06.09.2023
Approved: 24.09.2023

डॉ० सुषमा

बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

RJPP Apr.23-Sep.23,
Vol. XXI, No. II,

PP. 218-224
Article No. 30

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

प्रस्तावना

बच्चे मानवता का सबसे बड़ा उपहार हैं और उनका बचपन मानव विकास की नींव है। बच्चो के विकास के आधार पर ही किसी समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के विकास का आधार तय होता है। आज के बच्चें भविष्य के नागरिक हैं इसलिए किसी समाज अथवा राष्ट्र की समृद्धि, प्रगति एवं खुशहाली बच्चों की खुशहाली पर निर्भर करती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि बच्चों को भविष्य का जिम्मेदार, कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने हेतु उनके बचपन को खेलकूद, अच्छी शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास के उत्तम अवसर प्रदान किये जाए। किन्तु यह चिंताजनक है कि जिन बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उनको विद्यालयी शिक्षा की अति आवश्यकता होती है, वहीं कुछ बच्चे मजबूरी वश बालश्रम में लगे हुए हैं। बाल श्रमिक अपने परिवार की आर्थिक कठिनाईयों के कारण कम उम्र में ही श्रम करने को अभिशप्त होते हैं। बाल श्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। बाल श्रम सभी देशों में किसी न किसी रूप में प्रत्येक समय उपलब्ध है तथा प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित भी करता रहा है। परन्तु वर्तमान समय में बाल श्रम कैंसर की भांति फैलता जा रहा है।

बाल श्रम की अवधारणा

बाल श्रम का प्रारम्भ औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप नये उद्योगों की स्थापना से ही माना जाता है। पूंजीवादी वर्ग द्वारा लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से मजदूरों के बच्चों को भी अपने कल–कारखानों में मजदूरी पर रखना प्रारम्भ कर दिया गया।

बाल श्रम का अर्थ ऐसे कार्य से होता है जिसमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। जब बच्चे ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं जो उनको उनकी शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, विश्राम से वंचित रखता है, तो बच्चे द्वारा किया गया वहकार्य बाल श्रम कहलाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) ने बाल श्रमिकों को परिभाषित करते हुए कहा है कि– ''ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन में कुछ घंटे खेल और पढ़ाई से निकालकर खर्च के लिये काम करते हैं। वे बच्चे भी नहीं हैं जो पारिवारिक जमीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कार्यो में मदद करते हैं, बल्कि ये वे मासूम बच्चे हैं जो वयस्कों की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। कल–कारखानों, घरो, ढाबों व अन्य स्थलों पर कठोर श्रम करते हुए ये बच्चे शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, यहाँ तक कि स्वस्थ जीवन से भी वंचित हो जाते हैं।

भारत में बालश्रम

हमारे देश में बच्चों की जनसंख्या सम्पूर्ण विश्व में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 5–14 आयु वर्ग के कुल 259.6 मिलियन बच्चों में से 10.13 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं जबकि 5–18 आयु वर्ग के 33 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। 5–9 आयु वर्ग के 2% बच्चे और 10–14 आयु वर्ग के 6% बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं। 5–14 आयु वर्ग में 4.15% लड़के और 3.63% लड़कियां बाल श्रमिक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों में 75% बच्चे 10–14 वर्ष आयु वर्ग के थे जबकि 25% बच्चे 5–9 वर्ष आयु वर्ग से थे। यह एक अच्छी खबर है कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद इस दशक (2001 से 2011 के बीच) में बाल श्रमिकों की संख्या में 2.6

मिलियन की कमी आई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गिरावट देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ी है

तालिका संख्या–1

बाल श्रमिकों से सम्बन्धित दशकीय आंकड़े

क्र0सं0	बाल श्रमिकों का प्रतिशत (5–14 वर्ष आयु वर्ग)			कुल बाल श्रमिकों की संख्या (5–14 वर्ष आयु वर्ग)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2001	5.9	2.1	5.0	11.4	1.3	12.7
2011	4.3	2.9	3.9	.8.1	2.0	10.1

* स्रोत : 2001 व 2011 के जनगणना के आंकड़े

अध्ययन की आवश्यकता

सरकार बाल श्रमिकों की शिक्षा तथा बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का विकास कर उन्हें शिक्षित करके राष्ट्र के विकास में उन्हें बराबर का भागीदार बनाने के प्रति कृत संकल्प है। अब यह अति आवश्यक हो गया है कि हमारे देश के नौनिहाल जो विभिन्न कारणों से उद्योग धन्धों, कारखानों में कार्य करने में लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जाये। अतः आवश्यक है कि इस हेतू अध्यापक बाल श्रम कानून और बाल श्रमिकों के प्रति जागरूकता हो। इस कारण से यह अध्ययन करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में अध्यापकों में बाल श्रम कानून के प्रति, जागरूकता है, या इस हेतु अध्यापकों में उदासीन प्रवृत्ति है। किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य में सहयोग करने वाले व्यक्ति को समस्या से सम्बन्धित कानूनी तथ्यों की जानकारी हो इसीलिये यह आवश्यक है कि इस दिशा में अध्ययन किया जाये।

शोध समस्या का अभिकथन

शोध समस्या का अभिकथन निम्नलिखित रूप से भाषाबद्ध किया गया है :–

''बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन"

शोध उद्देश्य

1. बालश्रम कानून के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का लिंग के आधार पर अध्ययन करना।
2. बालश्रम कानून के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

1. बालश्रम कानून के प्रति महिला व पुरूष अध्यापकों की जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बालश्रम कानून के प्रति ग्रामीण व शहरी अध्यापकों की सार्थकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि व प्रविधि– प्रस्तुत शोध कार्य सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

शोध जनसंख्या न्यादर्श एवं न्यादर्शन विधि – प्रस्तुत शोध जनसंख्या के रूप में बुलन्दशहर हापुड़ व मेरठ जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक सम्मिलत हैं। न्यादर्श के रूप में प्रत्येक जनपद से 200–200–200 कुल 600 अध्यापकों का चयन न्यादर्शन की यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है।

शोध उपकरण– प्रस्तुत शोध में शोद्यार्थिनी द्वारा अध्यापकों की बालश्रम कानून के प्रति जागरूकता के मापन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया है।

तालिका संख्या–2

अध्यापकों का लिंग के आधार पर विवरण

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरूष	319	53.2%
महिला	281	46.8%
कुल	600	100%

तालिका संख्या 1 से प्रदर्शित होता है कि 600 अध्यापकों में से 319 (53.2 प्रतिशत) अध्यापक पुरूष वर्ग के एवं 281 (46.8 प्रतिशत) महिला वर्ग से सम्बन्धित हैं।

तालिका संख्या–3

अध्यापकों का क्षेत्र के आधार पर विवरण

क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	351	58.5%
शहरी	249	41.5%
कुल	600	100%

तालिका संख्या 2 से अवलोकित होता है कि चयनित किये गये 600 अध्यापकों में से 351 (58.5 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक, 249 (41.5 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र के अध्यापक सम्बन्धित है।

तालिका संख्या–4

अध्यापकों के लिंग के आधार पर बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का विवरण।

लिंग	पुरूष		महिला	
बालश्रम कानून जागरूकता का स्तर	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
उच्च स्तर	66	20.7%	39	13.9%
मध्यम स्तर	218	68.3%	173	61.6%
निम्न स्तर	35	11.0%	69	24.6%
कुल	319	100%	281	100%

तालिका संख्या 3 से ज्ञात होता है किचयनित किये गये 600 (319 पुरूष) अध्यापकों में से 66 (20.7 प्रतिशत) उच्च स्तर, 218 (68.3 प्रतिशत) मध्यम स्तर तथा 35 (11.0 प्रतिशत) निम्न स्तर

की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता रखते है। वही साथ ही (281 महिला) अध्यापकों में से 39 (13.9 प्रतिशत) उच्च स्तर, 173 (61.6 प्रतिशत) मध्यम स्तर तथा 69 (24.6 प्रतिशत) निम्न स्तर की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता रखती हैं।

तालिका संख्या–5

पुरूष अध्यापकों का क्षेत्र के आधार पर बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मान

पुरूष अध्यापक	कुल संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रता स्तर	"टी" मान	"पी" मान	सार्थकता
शहरी	219	31.89	10.256	317	0.535	0.593	असार्थक
ग्रामीण	100	32.89	10.380				

तालिका संख्या–4 के अवलोकन से ज्ञात होता है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से चयनित किये गये पुरूष अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 31.89, 32.89 व 10.256, 10.380 है। दोनों मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वतन्त्रता स्तर 317 पर प्राप्त "टी" मान 0.535 एवं "पी" मान 0. 593 सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर असार्थक पाया गया तथा पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से चयनित किये गये पुरूष अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता समान है।

तालिका संख्या–6

महिला अध्यापकों का क्षेत्र के आधार पर बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मान

महिला अध्यापक	कुल संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रता स्तर	"टी" मान	"पी" मान	सार्थकता
शहरी	132	26.58	8.479	279	3.269	0.001	सार्थक
ग्रामीण	149	29.97	8.881				

तालिका संख्या–5 के अवलोकन से ज्ञात होता है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र सेचयनित की गयीं महिला अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता से प्राप्त आंकड़ों का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 26.58, 29.97 व 8.479, 8.881 है। दोनों मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वतन्त्रता स्तर 279 पर प्राप्त "टी" मान 3.269 एवं "पी" मान 0.001 सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर सार्थक पाया गया तथा पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से चयनित की गयीं महिला अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का स्तर शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक है।

निष्कर्ष

1. शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के पुरूष अध्यापकों में बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का स्तर समान पाया गया है।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापकों में बालश्रम कानून के प्रति जागरूकता का स्तर समान नहीं पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापकों में शहरी क्षेत्र की महिला अध्यापकों की तुलना में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ

अध्यापकों के लिए– अध्यापकों को बाल श्रम कानून की जानकरी होना अति आवश्यक है। क्योंकि विद्यालयों में ही विद्यार्थियों को बाल श्रम कानून से अवगत करा सकते है। अध्यापक ही विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करे कि बाल श्रम कराना एक दण्डनीय अपराध है। बाल श्रम करने से बाल श्रमिकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास रूपी जाता है। अतः शिक्षा ही एक ऐसा साधन हैं जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। अत बाल श्रम करने वाले सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम अध्यापकों का है।

अध्यापक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापकों को बाल श्रमिकों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना चाहिये तथा उन्हें विद्यालयों की सभी गतिविधियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिये। अध्यापकों को बाल श्रमिकों के माता पिता को भी शिक्षा की महत्ता समझाने हेतु शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा बाल श्रम कानून अधिनियमों के प्रति भी जागरूक करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. दीक्षित, डी0के0. (1997). बाल श्रम की समस्या जबलपुर शहर के सन्दर्भ में. सोविनियर ऑफ (XVII) कॉन्फ्रेन्स. दि यू0पी0 सोशियोलॉजिकल सोसाइटी. एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेजः फिरोजाबाद. पृष्ठ **14–16.**
2. गुप्ता, एम0. (1997). इम्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड एजूकेशन ऑन दि नेचर एण्ड पैट्रन ऑफ वूमेन–लेबरस वर्कः *सोविनियर ऑफ XVII कॉन्फ्रेन्स. दि यू0पी0 सोशिया लोजिकल सोसाइटी.* एस0 आर0 के0(पी0जी0), कॉलेजः *फिरोजाबाद*।
3. गुप्ता, मंजू. (1997). इम्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड एजूकेशन ऑन दि नेचर एण्ड पैट्रन ऑफ वूमेन लेबरस वर्क. *सॉविनियर ऑफ (XVII) कॉन्फ्रेन्स. दि यू0पी0 सोश्योलोजिकल सोसाइटी.* एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेजः फिरोजाबाद. पृष्ठ **26–28.**
4. मेहता, पी0एल0., जायसवाल, एस0एस0. (1997). चाइल्ड लेबर एण्ड दि लॉ. दीप एण्ड पब्लिकेशंसः नई दिल्ली (भारत)।
5. शर्मा, एस0. (1997). भारत में बाल मजूदर. प्रकाशन संस्थानः नई दिल्ली. पृष्ठ **11.**
6. सिंह, यू0. (1997). बाल श्रम उन्मूलन में श्रमिक विद्यालयों की भूमिकाः कुछ सुझाव. *सॉविनियर ऑफ, XVII कॉन्फ्रेन्स. दि यू0पी0 साशियोलॉजिकल* सोसाइटी. एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेजः फिरोजाबाद. पृष्ठ **37–39.**

7. https://blog.ipleaders.in:childlabour:International conventions, the childlabour act.
8. 1986 and the right to education (RTE)Act, 2009.
9. https://data.unicef.org/resouces/child-labour-2020-global-estimates-trends-andthe-road-forward/.
10. URL: https://hdl.handle.net/10603/152569.
11. URL: https://hdl.handle.net/10603/257523.
12. URL: https://hdl.handle.net/10603/250046.